कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद- गोरखपुर।

पत्रांक- सी0एफ0ओ0-विविध-निरीक्षण/2024

दिनांकः-जनवरी-05-2024

सेवा में,

प्रबंधक/प्रधानाचार्य,

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

जंगल धूसड़,जनपद-गोरखपुर।

विषयः- महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय,जंगल धूसड़,जनपद-गोरखपुर में स्थापित अग्निशमन व्यवस्था का अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण कर अग्निशमन का नवीनीकरण प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में :-

कृपया अपने पत्र दिनांक-02.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्था का अग्निसुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया तो निम्न तथ्य पाये गये, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

1. **पहुँच मार्गः**- उक्त प्रश्नगत भवन तक अग्निशमन के वाहन आवागमन करते हुए अग्निशमन कार्य संपादित कर सकते हैं।
2. **पानी की स्थाई टंकी, भूमिगत/ऊपरीः**-एन0बी0सी0 मानक के अनुसार स्थापित है तथा टेरेस पम्प लगा कार्यशील पाया गया।
3. **स्वचलित स्प्रिंकलर सिस्टमः**- एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछित नहीं है।
4. **फर्स्ट एड होज रीलः**- एन.बी.सी. मानक के अनुसार वांछित है।
5. **भारतीय मानक संस्थान के प्रमाणीकरण चिन्हयुक्त अग्निशामकः**-मानक संख्या-2190::1992 के अनुसार मौके पर फायर एक्सटिंग्यूशर स्थापित पाये गये।
6. **कम्पार्टमेण्टलाइजेशनः**- एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछित नहीं है।
7. **स्वचलित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति/ हस्तचलित विद्युत अग्नि चेतावनी पद्धतिः**- हस्तचलित इलेक्ट्रिक फायर एलॉर्म सिस्टम वांछित है।
8. **सार्वजनिक सम्बोधन व्यवस्थाः**-एन0बी0सी0 मानक के अनुसार स्थापित है।
9. **निकास मार्ग के प्रदिप्त संकेत चिन्हः**-भवन में स्थापित हैं।
10. **विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक स्त्रोतः**-जनरेटर सेट स्थापित है।
11. **फायरमैन स्विच युक्त फायर लिफ्टः**-एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछित नहीं है।
12. **वेटराइजर/ डाउनकमर सिस्टमः**-एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछित है।
13. **सेटबैकः**-एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वांछित है।
14. **निकास की आवश्यकताएं एवं अग्नि से बचाव के मार्ग की व्यवस्थाः**-भवन में मानक के अनुसार है।
15. **फायर ड्रिलः**-प्रश्नगत भवन में समय-समय पर फायर ड्रिल कराया जाना आवश्यक है।
16. **अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षणः**-वांछित है।
17. **अग्निशमन पद्धति के प्रचालन के लिए स्टाफ/प्रशिक्षणः**-प्रश्नगत भवन में नियुक्त स्टाफ को अग्निशमन यंत्रों को चलाये जाने का ज्ञान कराया जाना आवश्यक है।
18. **निष्क्रमण योजना एवं ड्रिलः**- समय-समय पर कराया जाना वांछित है।
19. **सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा**-वांछित है।
20. **विहित फीस जमा करने के पश्चात अग्नि शोधन का सावधि नवीनीकरणः**- प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराया जाना वांछित है।

अतः उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील बनाये रखना तथा एन0बी0सी0-2005 तथा मानक संख्या- 2190::1992 तथा अग्नि निवारण व अग्नि सुरक्षा नियमावली-2005 के नियम-04 में दिये गये निर्देशों का पालन करना तथा प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर नवीनीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करना संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य का उत्तरदायित्व होगा,के शर्त पर **अग्निशमन का नवीनीकरण प्रमाण-पत्र** निर्गत किया जाता है, जो निर्गत तिथि से 01(एक) वर्ष तक वैध माना जायेगा। उक्त दिये गये निर्देशों का पालन न करने की दशा में तथा अग्निशमन व्यवस्था अकार्यशील होने की दशा में यह निर्गत प्रमाण-पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

5.1.24

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

जनपद-गोरखपुर।

प्राचार्य

महाराणा प्रताप महाविद्यालय

जंगल धूसड़, गोरखपुर